(ख) जहां देय रकम रुपये 250 से अधिक हो, वहां बैंक ड्राफ्ट या कल्याण आयुक्त द्वारा जारी किये गये चेक से किया जायेगा.

के स्थान पर "जहां देय रकम रुपये 5,000 से अधिक हो वहां बैंक ड्राफ्ट या कल्याण आयुक्त द्वारा जारी किये गये चेक से किया जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. डी. कुंजाम**, उप-सचिव.

## समाज कल्याण विभाग
### मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2011

### संशोधित अधिसूचना

क्रमांक/एफ 1-23/11/स.क./26.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अनुसूची के कॉलम 02 से 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु कॉलम 04 में निम्नानुसार प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारियों को किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करती है :—

अनुसूची

| अ. क्र. (1) | जिले का नाम (2) | क्षेत्र (3) | बोर्ड के अध्यक्ष (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | जांजगीर-चांपा | जांजगीर-चांपा | श्रीमती नीरू सिंह, द्वितीय सिविल न्यायाधीश, वर्ग-दो एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जांजगीर-चांपा. |
| 2. | कबीरधाम (कवर्धा) | कबीरधाम (कवर्धा) | श्रीमती धनेश्वरी सिदार, प्रथम सिविल न्यायाधीश, वर्ग-एक एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कबीरधाम. |
| 3. | कोरबा | कोरबा | श्री जी. तिर्की, प्रथम सिविल न्यायाधीश, वर्ग-एक एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोरबा. |
| 4. | उत्तर बस्तर (कांकेर) | उत्तर बस्तर (कांकेर) | श्रीमती सत्याभामा अजय दुबे, प्रथम सिविल न्यायाधीश, वर्ग-एक एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तर बस्तर कांकेर. |

No. F 1-23/11/S.W./26.—In exercise of the powers conferred by the sub-sections (1) and (2) of the section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 as amended 2006 the State Government hereby notify following First Class Judicial Magistrates as the Chairmen of the Juvenile Justice Board in the column 4 for the area shown in the column No. 2 to 3 of the said Schedule :—

SCHEDULE

| S. No. (1) | Name of the District (2) | Area (3) | Name of the Chairman of the Board (4) |
|---|---|---|---|
| | | [illegible] Champa | Smt. Neeru Singh, II CJ-II & JMFC, Janjgir- |

प्रमाणित किया जाता है कि इस पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

पदोन्नत अधिकारी वर्तमान में जिस शाखा में जिस प्रभार पर कार्यरत है उसी शाखा का सम्पूर्ण कार्य आगामी आदेश पर्यन्त पूर्ववत् देखेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. के. सामंतराय**, सचिव.

---

## आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2012

क्रमांक/एफ-19-6/25-2/2012/आजावि.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित निगम की उपविधि क्रमांक 25 के प्रावधान अनुसार श्री जे. सी. मेश्राम, सेवानिवृत्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी राजनांदगांव को पदभार ग्रहण की तिथि से, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, रायपुर का उपाध्यक्ष नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अनिल चौधरी**, उप-सचिव.

---

## श्रम विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2012

क्रमांक एफ 10-23/2012/16.—बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का क्रमांक 61) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा "बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह" हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में गठित दल के प्रत्येक सदस्य को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षक नियुक्त करता है.

No. F 10-23/2012/16.—In exercise of powers conferred by Section 17 of Child Labour (Prohibition & Ragulation) Act, 1986 (No. 61 of 1986) the State Government hereby appoints each member of the survey team constituted by the Collector in various district for the purpose of "Child Labour Abolition Week" in the state to be the inspector for the purpose of the said Act.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन कुमार**, सचिव.

# छत्तीसगढ़ शासन
## श्रम विभाग
## मंत्रालय, नया रायपुर

**अधिसूचना**

रायपुर, दिनांक 16.11.2012

क्रमांक एफ 10–23/2012/16 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का क्रमांक 61) की धारा–17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शसन एतद् द्वारा "बाल श्रम उन्मूलन सप्ताह" हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में गठित दल के प्रत्येक सदस्य को, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए निरीक्षक नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. जितेन कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

**NOTIFICATION**

No.F 10-23/2012/16 In exercise of powers conferred by Section 17 of Child Labour (Prohibition & Ragulation) Act 1986, (No. 61 of 1986), the State Government hereby appoints each member of the survey team constituted by the Collector in various district for the purpose of "Child Labour Abolition Week" in the state to be the inspector for the purpose of the said act.

**By Order and in the name of the Governor of Chhattisgarh**

**(Dr. Jiten Kumar)**
Secretary
Govt. Of C.G., Labour Deptt.

**---2**

D:\peetar minj\aadesh.doc740

Scanned by CamScanner